



## न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक /2012-13

R-930-I/13

श्री श्री. क. वा. सि.  
सि. 0524 धा. ल.  
दि. 20-2-13 का  
श्री. श्री. वा. म. 02  
प्रस्ताव।

20-2-13

पुनरीक्षण पत्र धारा 50 म.प्र. धू-राजस्व संहिता

प्रेमसिंह पिता कन्हैयालाल कुशवाह, कृषक  
निवासीग्राम ढाबला ज़ागीर तहसील सोनकच्छ,  
जिला देवास म.प्र.

..... पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

रेशम बाई पिता बलदेवसिंह, पति नगजीराम,  
कृषक निवासी-ग्राम गंधर्वपुरी, तहसील  
सोनकच्छ, जिला देवास म.प्र.

..... गैर पुनरीक्षणकार

( माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन की अपील  
क्रमांक 775/2011-12 के अंतिम आदेश दिनांक 12.02.2013 के विरुद्ध )

माननीय न्यायालय,

यह कि, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नांकित पुनरीक्षण पत्र सादर प्रस्तुत है

:-

1- यह कि, गैरपुनरीक्षणकार के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय माननीय अपर  
आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील द्वितीय क्रमांक 775/ 2011-12  
पुनरीक्षणकर्ता ने प्रस्तुत की जो दिनांक 12.02.2013 को अवैध रूप से निरस्त कर दी,  
जिससे दुःखित होकर यह पुनरीक्षण पत्र अवधि के भीतर सादर प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

